झारखण्ड राज्य एवं अन्य

बनाम

जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव व अन्य

(सिविल अपील संख्या 6770/2013)

14 अगस्त 2013

के0 एस 0 राधाकृष्णन और ए 0 के0 सिकरी-जे0 जे0

सेवा कानून - पेंशन - राज्य सरकार पेंशन नियमों में ऐसे किसी प्रावधान के अभाव में, विभागीय/आपराधिक कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान पेंशन और /या ग्रेच्युटी का एक हिस्सा रोक लेती है - औचित्य -अभिनिर्धारित किया: ग्रेच्युटी और पेंशन इनाम नहीं हैं - यह कड़ी मेहनत से अर्जित लाभ है एक कर्मचारी को अर्जित होता है और ''संपत्ति'' की प्रकृति में है - संपत्ति का यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 300 ए के अनुसार कानून की उचित प्रक्रिया के बिना छीना नहीं जा सकता है - वर्तमान मामला बिहार पेंशन नियमों द्वारा शासित है, जैसा कि झारखंड राज्य पर लागू है - पेंशन नियमों के नियम 43 (बी) ने यह स्पष्ट कर दिया कि विभागीय जांच के निष्कर्ष के बाद भी, सरकार के लिए पेंशन आदि रोकना तभी स्वीकार्य है जब विभागीय जांच या न्यायिक कार्यवाही में यह निष्कर्ष दर्ज किया गया हो कि कर्मचारी ने गंभीर अपराध किया है, अपने पद पर रहते हुए अपने कर्तव्य के निर्वहन में कदाचार किया है -

जब ऐसी विभागीय कार्यवाही या न्यायिक कार्यवाही अभी भी लंबित हो तो पेंशन/ग्रेच्युटी रोकने के लिए नियमों में कोई प्रावधान नहीं है - अपीलकर्ता द्वारा पेंशन या ग्रेच्युटी या यहां तक कि अवकाश नगदीकरण का एक हिस्सा छीनने का प्रयास किसी भी वैधानिक प्रावधान के बिना और प्रशासनिक निर्देश के दायरे में इस अभिव्यक्ति को स्वीकार नहीं किया जा सकता है - कार्यकारी निर्देशों में वैधानिक चरित्र नहीं है और इसलिए, अनुच्छेद 300 ए के अर्थ में ''कानून'' नहीं कहा जा सकता है - ऐसे परिपत्र के आधार पर, जो कानून की शक्ति के बिना है। अपीलकर्ता पेंशन या ग्रेच्युटी का एक हिस्सा भी नहीं रोक सकता - बिहार पेंशन नियम, जैसा कि झारखंड राज्य पर लागू होता है आर. 43 (बी) - भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 300 ए

सेवा कानून - पेंशन - अभिनिर्धारित : पेंशन प्राप्त करने का अधिकार ''संपत्ति'' में अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है

तत्काल अपील में विचार के लिए जो प्रश्न उठा वह था: क्या पेंशन नियमों में किसी भी प्रावधान के अभाव में, राज्य सरकार विभागीय/आपराधिक कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान पेंशन और/या ग्रेच्युटी का एक हिस्सा रोक सकती है। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक दिया था और इसलिए अपीलकर्ता को प्रतिवादी को रोकी गई बकाया राशि प्रत्यर्थी को जारी करने

का निर्देश दिया था। इसलिए झारखंड राज्य द्वारा वर्तमान अपील प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि

1.1. ग्रेच्युटी और पेंशन इनाम नहीं हैं। एक कर्मचारी अपनी लंबी, निरंतर, वफादार और बेदाग सेवा के माध्यम से ये लाभ अर्जित करता है। इस प्रकार यह कड़ी मेहनत से अर्जित लाभ है जो एक कर्मचारी को ''संपत्त'' की प्रकृति में मिलता है। संविधान के अनुच्छेद 300 ए के प्रावधानों के अनुसार उचित कानूनी प्रक्रिया के बिना संपत्ति के इस अधिकार को छीना नहीं जा सकता है। (पैरा 7,8) (184-ए; 185-बी.सी,)

1.2. वर्तमान मामला निश्चित रूप से बिहार पेंशन नियमों द्वारा शासित है, जैसा कि झारखंड राज्य पर लागू है। उक्त पेंशन नियमों का नियम 43(बी) राज्य सरकार को कुछ परिस्थितियों में पेंशन या उसके हिस्से को रोकने या वापस लेने की शक्ति प्रदान करता है। नियम 43 (बी) को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि विभागीय जांच के निष्कर्ष के बाद भी, यह सरकार को पेंशन आदि रोकने की अनुमति देता है। यह तभी है जब विभागीय जांच या न्यायिक कार्यवाही में यह निष्कर्ष दर्ज किया गया हो कि कर्मचारी ने अपने कार्यालय में रहते हुए अपने कर्तव्य के निर्वहन में गंभीर कदाचार किया था। पेंशन/ग्रेच्यूटी रोकने के लिए नियमों में कोई प्रावधान नहीं है! जब ऐसी विभागीय कार्यवाही या न्यायिक कार्यवाही अभी

भी लंबित हो। (पैरा 9,11) (185-डी; 187 एफ 0 जी0)

1.3 सही यह है कि कानूनी सिद्धांत में यह शर्त है कि पेंशन प्राप्त करने का अधिकार ''संपत्ति'' में अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है। किसी व्यक्ति को कानून के अधिकार के बिना इस पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 300 ए में निहित संवैधानिक आदेश है। इससे यह पता चलता है कि बिना किसी वैधानिक प्रावधान के और प्रशासनिक निर्देश के तहत पेंशन या ग्रेच्युटी का एक हिस्सा या यहां तक कि छुट्टी नकदीकरण का एक हिस्सा छीनने के अपीलकर्ता के प्रयास को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। कार्यकारी निर्देशों में वैधानिक चरित्र नहीं है और इसलिए,उपरोक्त अनुच्छेद 300 ए के अर्थ में इसे ''कानून'' नहीं कहा जा सकता है। ऐसे परिपत्र के आधार पर, जिसमें कानून की शक्ति नहीं है, अपीलकर्ता पेंशन या ग्रेच्युटी का एक हिस्सा भी नहीं रोक सकता है। जहां तक वैधानिक नियमों का सवाल है, दी गई स्थिति में पेंशन या ग्रेच्युटी रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि इन नियमों में ऐसा कोई प्रावधान होता, तो स्थिति अलग होती (पैरा 13, 14 और 15,) (192-डी-ई, जी.एच; 193-ए-बी)

संत राम शर्मा बनाम भारत संघ 1968 (1) एससीआर 111 - अनुपयुक्त ठहराया गया।

डी.एस. नाकारा और अन्य बनाम भारत संघ ;(1983) 1 एससीसी

305; 1983 (2) एससीआर 165; देवकीनंदन प्रसाद बनाम बिहार राज्य (1971) 2 एससीसी 330 : 1971 (0) पूरक। एससीआर 634 और पश्चिम बंगाल राज्य बनाम हरेश सी. बनर्जी और अन्य 2006 7 एससीसी 651 2006 5 पूरक।। एससीआर 620 - पर निर्भर।

डॉ. दूध नाथ पांडे बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य 2007 (4) जेसीआर 1 - संदर्भित। केस कानून संदर्भ: 2007 4 जेसीआर 1 पैरा 4 के लिए एस.सी.आर. 1968 (1) एससीआर 111 पैरा 5 को अनुपयुक्त माना गया पैरा 5 1983 (2) एससीआर 165 पैरा - 7 1971 (0) पूरक एससीआर 634 पैरा 12 2006 (5) पूरक। एससीआर 620 पैरा 13 सिविल

अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 6770/, 2013

रांची में झारखंड के उच्च न्यायालय के एल.पी.ए.नं. 2005 की संख्या 678 में निर्णय और आदेश दिनांक 31.10.2007 से।

साथ ही

सीए - 2013 की संख्या 6771

अपीलकर्ताओं की ओर से अमरेंद्र शर्मा, अनिल के. झा, प्रियंका त्यागी।

जे.एस. अत्री,गौरव शर्मा, बी के शर्मा प्रियंका भरिहोक, सुषमा सुरी, राजीव शंकर द्विवेदी फॉर द रेस्पोन्डेन्ट्स,न्यायालय का निर्णय सुनाया गया ए.के. सीकरी. जे. 1 अनुमति दी गयी।

2. इन मामलों में विचार के लिए स्पष्ट और संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या पेंशन नियमों में किसी प्रावधान के अभाव में, राज्य सरकार विभागीय/आपराधिक लंबित रहने के दौरान पेंशन और/या ग्रेच्युटी का एक हिस्सा रोक सकती है? उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक दिया है और इसलिए अपीलकर्ता को प्रतिवादी को रोकी गई बकाया राशि जारी करने का निर्देश दिया है। इस नतीजे से नाखुश झारखंड राज्य ने इस अपील को प्राथमिकता दी है।

3. सुविधा के लिए हम 2009 की एसएलपी सिविल संख्या 1427 से तथ्य एकत्रित करेंगें।

कानून के उपरोक्त प्रश्नों को जन्म देने वाले जिन तथ्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वे निम्नलिखित हैं:

प्रतिवादी पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग में कार्यरत था। वह 02.11.1966 को बिहार सरकार में उक्त विभाग में शामिल हुए। 16.04.1996 को उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ.साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दो मामले दर्ज किए गए थे। वर्ष 1990-1991, 1991-1992 के दौरान गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जब वह कृत्रिम गर्भाधान अधिकारी, रांची के पद पर तैनात थे। बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की घोषणा पर, झारखंड राज्य यहां अपीलकर्ता अस्तित्व में आया और प्रतिवादी

अपीलकर्ता राज्य का कर्मचारी बन गया। प्रतिवादी के विरुद्ध उपरोक्त दो आपराधिक मामलों के संबंध में अभियोजन लंबित है। 30 जनवरी, 2002 को अपीलकर्ता ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का भी आदेश दिया। जबकि ये कार्यवाही अभी भी लंबित थी. सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर, प्रतिवादी 31.08.2002 को कृत्रिम गर्भाधान अधिकारी, रांची के पद से सेवानिवृत्त हो गया। अपीलकर्ता ने 25.5.2003 को सामान्य भविष्य निधि जारी करने और भुगतान करने की मंजूरी दे दी। इसके बाद, 18.3.2004 को अपीलकर्ता ने प्रतिवादी को 90 प्रतिशत अनंतिम पेंशन स्वीकृत की। उनके निलंबन अवधि (30.1.2002 से 30.08.2002) की शेष 10 प्रतिशत पेंशन और वेतन उनके खिलाफ आपराधिक मामलों/विभागीय जांच के परिणाम लंबित होने तक रोक दिया गया था। उन्हें अवकाश नकदीकरण और ग्रेच्युटी का भी भुगतान नहीं किया गया।

4. अपनी पेंशन का 10 प्रतिशत रोकने और अन्य उपरोक्त देय राशि जारी न करने की इस कार्रवाई से व्यथित महसूस करते हुए, प्रतिवादी ने झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय द्वारा संकल्प संख्या 3014 दिनांक 31.07.1980 के संदर्भ में अनंतिम पेंशन, ग्रेच्युटी आदि के भुगतान के लिए याचिकाकर्ता के दावे पर निर्णय लेने के लिए मामले को विभाग को वापस भेजकर इस रिट याचिका का निपटारा कर दिया गया था। अपीलकर्ता ने इसके बाद प्रतिवादी के

अभ्यावेदन पर विचार किया गया। दिनांक 16.3.2006 के आदेश द्वारा इसे खारिज कर दिया। प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक और रिट याचिका दायर करके अस्वीकृति को चुनौती दी। उक्त याचिका विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दी गई। प्रतिवादी ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जिसे डिवीजन बेंच ने आदेश दिनांक 31.10.2007 के तहत स्वीकृत की। डिवीजन बेंच ने माना है कि यह प्रश्न डॉ. दूध नाथ पांडे बनाम झारखंड राज्य और अन्य 2007 4 जेसीआर 1 के मामले में उस न्यायालय की पूर्ण बेंच के फैसले से पूरी तरह से कवर होता है। उक्त पूर्ण पीठ के फैसले में दिनांक 28.8.2007 की विषय वस्तु की विभिन्न बारीकियों पर विस्तृत चर्चा के बाद, उच्च न्यायालय ने कहाः

''दो प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में इस प्रकार हैं

(i) बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 ए एवं 43 बी के तहत. विभागीय कार्यवाही या आपराधिक कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान ग्रेच्युटी और पेंशन रोकने की सरकार के पास कोई शक्ति नहीं है। यह कार्यवाही से पहले या कार्यवाही के समापन के बाद किसी भी स्तर पर अवकाश नकदीकरण को रोकने की कोई शक्ति नहीं देता हैऔर

(ii) वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र, जिसमें अवकाश नकदीकरण रोकने का जिक्र है। यह मामले के वर्तमान तथ्यों पर लागू नहीं होगा क्योंकि इसमें कानून की कोई पवित्रता नहीं है''

5. श्री अमरेंद्र शरण, विद्वान वरिष्ठ वकील ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश होते हुए उन्होंने इस तथ्य को स्वीकार किया कि जहां तक पेंशन नियमों का सवाल है, पेंशन या ग्रेच्युटी के एक हिस्से को रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। हालाँकि, उन्होंने बताया कि ऐसे प्रशासनिक निर्देश हैं जो पेंशन और ग्रेच्युटी के एक हिस्से को रोकने की अनुमति देते हैं। उनका कहना था कि जब नियम किसी विशेष पहलू पर मौन होते हैं, तो अंतर को प्रशासनिक निर्देशों से भरा जा सकता है, जो कि स्थापित कानूनी स्थिति थी, जिसे वर्ष 1968 में संत राम में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले द्वारा निर्धारित किया गया था।

कुमार श्रीवास्तव ए.के. सीकरी, जे.शर्मा बनाम भारत संघ 1968 (1) एससीआर 111। इस प्रकार, उन्होंने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने यह मानने में त्रुटि की है कि सरकार के पास पेंशन या ग्रेच्युटी के हिस्से को अनुशासनात्मक या आपराधिक कार्यवाही लम्बित रहने के दौरान रोके रखने की कोई शक्ति नहीं थी।

6. जहां तक वर्तमान मामले का संबंध है, संत राम शर्मा के फैसले के आधार पर विद्वान वरिष्ठ वकील के उपरोक्त तर्क कोई प्रभाव नहीं डालेंगे, इस कारण से इस मामले की दिए गए मामले में कोई प्रयोज्यता नहीं है। संत राम निर्णय प्रशासनिक कानून के क्षेत्र को नियंत्रित करता है जिसमें संविधान पीठ ने यह सिद्धांत दिया कि किसी अधिनियम में निहित

शक्तियों के प्रयोग में प्राधिकरण द्वारा बनाए गए नियमों में भी वैधानिक बल होगा। यद्यपि प्रशासन सुचारू प्रशासनिक कार्य के लिए प्रशासनिक निर्देश जारी कर सकता है, लेकिन ऐसे प्रशासनिक निर्देश नियमों का स्थान नहीं ले सकते। हालाँकि, ये प्रशासनिक निर्देश उन स्थितियों का ध्यान रखकर वैधानिक नियमों को पूरक कर सकते हैं जहां वैधानिक नियम मौन हैं। उस निर्णय का यह सार निम्नलिखित प्रकार से वर्णित हैः

"यह सच है कि चयन ग्रेड पदों पर कनिष्ठ या वरिष्ठ ग्रेड अधिकारियों की पदोन्नति के सिद्धांत को निर्धारित करने वाले नियमों में कोई विशेष प्रावधान नहीं है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जब तक इस संबंध में वैधानिक नियम नहीं बनाए जाते हैं, तब तक सरकार चयन ग्रेड पदों पर संबंधित अधिकारियों की पदोन्नति में अपनाए जाने वाले सिद्धांत के संबंध में प्रशासनिक यह सच है कि सरकार प्रशासनिक निर्देशों द्वारा वैधानिक नियमों में संशोधन या स्थान नहीं ले सकती है, लेकिन यदि नियम किसी विशेष बिंदु पर चुप हैं तो सरकार अंतराल को भर सकती है और नियम और निर्देश जारी कर सकती और पहले से बनाए गए नियमों से असंगत है'' कानून की इस व्याख्या पर कोई झगड़ा नहीं हो सकता हैए जो संत राम शर्मा मामले के बाद सुनाए गए निर्णयों की एक श्रृंखला पर भी आधारित है। हालाँकिए वर्तमान मामले में जो प्रश्न उठाया गया है वह बिल्कुल अलग है।

7. यह एक स्वीकृत स्थिति है कि ग्रेच्युटी और पेंशन इनाम नहीं हैं। एक कर्मचारी अपनी लंबी, निरंतर वफादार और बेदाग सेवा के आधार पर ये लाभ अर्जित करता है। संकल्पनात्मक रूप से यह डीएस नायरा और अन्य बनाम भारत संघ 1983 (1) एस सी सी 305 न्यायमूर्ति डी.ए. देशाई बी. द्वारा बहुत स्पष्ट रूप से वर्णित है। जिन्होंने बेंच के लिए अपनी अनूठी शैली में निम्नलिखित शब्दों में बात की" उत्तरदाताओं का दृष्टिकोण एक महत्वपूर्ण और बहुत आसान जवाब नहीं देता हैए सवाल है कि पेंशन का भुगतान क्यों किया जाता है और इसे उदार बनाने की आवश्यकता क्यों थी? क्या नियोक्ता। जिसकी अभिव्यक्ति में राज्य भी शामिल होगा, पेंशन का भुगतान करने के लिए बाध्य है? क्या रोजगार अनुबंध समाप्त होने और कर्मचारी द्वारा सेवा प्रदान करना बंद कर देने के बाद भी नियोक्ता पर पूर्ववर्ती कर्मचारी के लिए प्रदान करने का कोई दायित्व है?

पेंशन क्या है? पेंशन के लक्ष्य क्या हैं? यह किस सार्वजनिक हित या उद्देश्य, यदि कोई हो, की पूर्ति करना चाहता है?यदि यह किसी सार्वजनिक उद्देश्य की पूर्ति करना चाहता है, तो क्या एक निश्चित तिथि से पहले और बाद में सेवानिवृत्ति के ऐसे कृत्रिम विभाजन से इसे विफल नहीं किया जा सकता है? हमें इन और प्रासंगिक सवालों के जवाब तलाशने की जरूरत है ताकि इस याचिका के पक्षों के बीच न्यायपूर्ण न्याय हो सके। पेंशन को एक इनाम मानने की पुरानी धारणा नियोक्ता की मधुर इच्छा या अनुग्रह

के आधार पर कृतज्ञ भुगतान किया जाना नियोक्ता के अधिकार के रूप में दावा करने योग्य नहीं है और इसलिए, पेंशन का अधिकार न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है

संविधान के निर्णय देवकी नंदन प्रसाद बनाम बिहार राज्य और अन्य में खंडपीठ (1971) सु. एस.सी.आर. 634 द्वारा कालीन के नीचे दबा दिया गया। जिसमें इस न्यायालय ने आधिकारिक रूप से व्यवस्था दी कि पेंशन एक अधिकार है और इसका भुगतान सरकार के विवेक पर निर्भर नहीं करता है बल्कि नियमों द्वारा शासित होता है और उन नियमों के अंतर्गत आने वाला एक सरकारी कर्मचारी पेंशन का दावा करने का हकदार है। आगे यह माना गया कि पेंशन का अनुदान किसी के विवेक पर निर्भर नहीं है। यह केवल मात्रा निर्धारित करने के उद्देश्य से है।

सेवा और अन्य संबद्ध मामलों को ध्यान में रखते हुए, उस आशय का आदेश पारित करना अधिकृत रूप से आवश्यक हो सकता है, लेकिन पेंशन प्राप्त करने का अधिकार ऐसे किसी आदेश के कारण नहीं बल्कि नियमों के आधार पर अधिकारी को मिलता है। इस दृष्टिकोण की पंजाब राज्य और अंत वी इकबाल सिंह 1976 आईएलएलजे 3776 सी में पुनः पुष्टि की गई।

8. इस प्रकार यह कड़ी मेहनत से अर्जित लाभ है जो एक कर्मचारी को मिलता है और ''संपत्ति'' की प्रकृति में है। संपत्ति का यह अधिकार

भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 ए के प्रावधानों के अनुसार कानून की उचित प्रक्रिया के बिना छीना नहीं जा सकता है।

9. कानूनी स्थिति स्पष्ट करने के बाद, आइए सबसे पहले पेंशन जारी करने से संबंधित नियमों पर चर्चा करें। प्रस्तुत मामला निश्चित रूप से बिहार पेंशन नियमों द्वारा शासित है, जैसा कि झारखंड राज्य पर लागू है, उक्त पेंशन नियमों का नियम 43 बी राज्य सरकार को कुछ परिस्थितियों में पेंशन या उसके हिस्से को रोकने या वापस लेने की शक्ति प्रदान करता है। यह नियम 43 बी इस प्रकार है:

''43 बी राज्य सरकार पेंशन या उसके किसी हिस्से को स्थायी रूप से या निर्दिष्ट अवधि के लिए रोकने या वापस लेने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखती है, और पेंशन से पूरी या उसके हिस्से की वसूली का आदेश देने का अधिकार रखती है। यदि पेंशनभोगी को विभागीय या न्यायिक कार्यवाही में गंभीर कदाचार का दोषी पाया जाता है, या सरकारी कदाचार के कारण आर्थिक हानि हुई है, या उसकी सेवा के दौरान कदाचार या लापरवाही के कारण सरकार को आर्थिक हानि हुई है, तो सरकार को होने वाली कोई भी आर्थिक हानि की पूर्ति पेन्शन से हो सकती है। इसमें सेवानिवृत्ति के बाद पुनः रोजगार पर प्रदान की गई सेवा भी शामिल है

उपरोक्त नियम 43 बी को पढ़ने से, निम्नलिखित स्थिति उभरती है

(i) राज्य सरकार के पास पेंशन या उसके किसी भी हिस्से को रोकने

या वापस लेने की शक्ति है

जब पेंशनभोगी को विभागीय कार्यवाही या न्यायिक कार्यवाही में गंभीर कदाचार का दोषी पाया जाता है

(ii) यह प्रावधान राज्य को विभाग की कार्यवाही या न्यायिक कार्यवाही लंबित होने पर उक्त शक्ति को लागू करने का अधिकार नहीं देता है।

(iii) उपरोक्त कार्यवाही के परिणाम के बावजूद राज्य को इस नियम के तहत छुट्टी नकदीकरण रोकने की शक्ति प्रदान नहीं की गई है।

(iv) यह शक्ति केवल तभी लागू की जा सकती है जब

दोषी पाए जाने पर कार्यवाही समाप्त की जाती है,इससे पूर्व नहीं।

10 नियम 43 बी का एक परन्तुक भी है, जो प्रावधान करता है कि

(ए) ऐसी विभागीय कार्यवाही, यदि अभी तक शुरू नहीं की गई है जब कि सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति या पुनर्नियोजन के दौरान पहले भी ड्यूटी पर था

(i) राज्य सरकार की मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा

(ii) किसी ऐसी घटना के संबंध में होगा जो प्रक्रिया के संस्थित होने के पूर्व चार वर्ष की अवधि के अन्दर घटित हुई हो।

(iii) ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसे स्थान या स्थानों पर निष्पादित

की गयी है। जैसा कि राज्य सरकार निर्देशित करे और कार्यवाही पर लागू

प्रक्रिया के अनुसार जिसे सेवा से बर्खास्तगी का आदेश दिया जा सकता है:-.

(बी) न्यायिक कार्यवाही, यदि शुरू नहीं की गई है जब कि सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्ति से पहले या पुनः रोजगार के दौरान तो ड्यूटी पर था व कार्यवाही में अंतिम आदेश नहीं हुआ है।

यह स्पष्ट है कि परंतुक कार्यवाही को संस्थित होने के बारे में बोलता है। कार्यवाही शुरू करने के लिए, नियम 43 बी कुछ शर्तें रखता है,अर्थात, नियम 43 बी में बताए अनुसार विभाग की कार्यवाही, यदि सरकारी कर्मचारी के ड्यूटी पर रहने के दौरान शुरू नहीं की गई है, तो इसे तब तक शुरू नहीं किया जाएगा जब तक.

(ए) सरकार की मंजूरी के साथ

(बी) यह उस घटना के संबंध में होगा जो कार्यवाही शुरू होने से चार साल से अधिक पहले नहीं हुई थी।

(सी) ऐसी कार्यवाही जांच अधिकारी द्वारा ऐसी प्रकिया के अनुसार संचालित की जाएगी जिससे सेवा से बर्खास्तगी की जा सके।

इस प्रकार, जहां तक परन्तुक का संबंध है, कार्यवाही शुरू करने की शर्त और उस परिसीमा की अवधि से संबंधित है जिसके भीतर ऐसी कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

11. नियम 43 बी को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि विभागीय जांच के समापन के बाद भी, सरकार के लिए पेंशन आदि रोकना स्वीकार्य है। केवल तभी जब कोई निष्कर्ष विभागीय जांच या न्यायिक कार्यवाही में दर्ज किया गया हो कि कर्मचारी ने अपने पद पर रहते हुए अपने कर्तव्य के निर्वहन में गंभीर कदाचार किया था। नियमों में ऐसी विभागीय कार्यवाही या न्यायिक कार्यवाही लंबित होने पर पेंशनध्ग्रेच्युटी रोकने का कोई प्रावधान नहीं है

12. देवकीनंदन प्रसाद बनाम बिहार राज्य, (1971) 2 एससीसी 330 में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले द्वारा पेंशन प्राप्त करने के अधिकार को संपत्ति के अधिकार के रूप में मान्यता दी गई थी। जैसा कि निम्नलिखित चर्चा से स्पष्ट हैः

29. विचार करने योग्य अंतिम प्रश्न यह है कि क्या सरकारी कर्मचारी द्वारा पेंशन प्राप्त करने का अधिकार संपत्ति है, ताकि संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (एफ) और 31 (1) को आकर्षित किया जा सके। इस प्रश्न का निर्णय क्रम में किया जाना है इस बात पर विचार करने के लिए कि क्या रिट याचिका अनुच्छेद 32 के तहत विचारणीय है, इस पहलू पर, हम पहले ही सुनवाई कर चुके हैं और अब उसी पर विचार करने के लिए आगे बढ़ेंगे।

30. याचिकाकर्ता के अनुसार पेंशन प्राप्त करने का अधिकार संपत्ति

है और प्रतिवादियों ने 12 जून, 1988 के एक कार्यकारी आदेश द्वारा गलत तरीके से उसकी पेंशन रोक दी है। वह आदेश संविधान की धारा 19

(1) (एफ) और 31 (1) के तहत उनके मौलिक अधिकारों को प्रभावित करता है। उत्तरदाता, जैसा कि हमने पहले ही संकेत दिया है, याचिकाकर्ता के पेंशन पाने के अधिकार पर विवाद नहीं करते हैं, बल्कि पारित आदेश पर विवाद करते हैं। 5 अगस्त, 1966 के आदेश को विवादित करते है। जवाबी हलफनामे में केवल एक स्पष्ट कथन है कि विचार के लिए किसी भी मौलिक अधिकार का कोई प्रश्न नहीं उठता है। उत्तरदाताओं के विद्वान वकील श्री झा यह मानने के लिए तैयार नहीं थे कि पेंशन प्राप्त करने का अधिकार किसी भी परिस्थिति में संपत्ति नहीं माना जा सकता उनके मुताबिक, इस मामले में राज्य की ओर से पेंशन देने का कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, हमने समझा कि वकील ने आग्रह किया है कि यदि राज्य ने पेंशन देने का आदेश पारित किया है और बाद में उस आदेश से इनकार कर दिया है, तो बाद के आदेश को अनुच्छेद 19(1) (एफ) व अनुच्छेद 31(1) को लागू करने के लिए याचिकाकर्ता के अधिकार को प्रभावित करने वाला माना जा सकता है।

31. हम उत्तरदाताओं के विद्वान वकील के तर्क को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं। पेंशन नियमों में भौतिक प्रावधानों के संदर्भ में, हमने पहले ही संकेत दिया है कि पेंशन का अनुदान

अधिकारियों द्वारा पारित किए जाने वाले आदेश पर निर्भर नहीं है। ऐसा हो सकता है कि सेवा की अवधि और अन्य संबद्ध मामलों को ध्यान में रखते हुए राशि की मात्रा निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए, अधिकारियों के लिए उस आशय का आदेश पारित करना आवश्यक हो सकता है, लेकिन पेंशन प्राप्त करने का अधिकार किसी आदेश से नहीं मिलता है। लेकिन नियमों के आधार पर मिलता है। नियम, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, उसमें उल्लिखित परिस्थितियों के तहत याचिकाकर्ता जैसे व्यक्तियों के पेंशन प्राप्त करने के अधिकार को स्पष्ट रूप से मान्यता देते हैं।

32. प्रश्न यह है कि क्या पेंशन दी जाएगी?

लोक सेवक संपत्ति को आकर्षित करने वाला अनुच्छेद 31(1) भगवंत सिंह बनाम भारत संघ एएलआर 1962 पुन 503 में पंजाब उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया था। यह माना गया था कि ऐसा अधिकार '' सम्पत्ति'' का गठन करता है और कोई भी हस्तक्षेप उल्लंघन होगा। संविधान के अनुच्छेद 31(1) के. आगे यह माना गया कि राज्य किसी कार्यकारी आदेश द्वारा लोक सेवक के पेंशन प्राप्त करने के अधिकार को पूरी तरह से कम या समाप्त नहीं कर सकता है। यह निर्णय विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिया गया। यह निर्णय भारत संघ द्वारा लेटर्स पेटेंट अपील में लिया गया था। लेटर्स पेटेंट बेंच ने भारत संघ बनाम

भगवंत सिंह आईएलआर 1965 (1) में अपने फैसले में विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को मंजूरी दे दी। लेटर्स पेटेंट बेंच ने माना कि एक लोक सेवक को उसकी सेवानिवृत्ति पर दी गई पेंशन संविधान के अनुच्छेद 31 (1) के अर्थ में ''सम्पत्ति'' है और उसे केवल कानून के प्राधिकारी द्वारा ही इससे वंचित किया जा सकता है केवल इसे अस्वीकार करने या रद्द करने मात्र से संपत्ति होना अस्वीकार नहीं होता यह आगे माना गया कि ''सम्पत्ति'' के रूप में पेंशन का चरित्र संभवतः किसी विशेष व्यक्ति या प्राधिकारी की इच्छा पर इस तरह के परिवर्तन से नहीं गुजर सकता है।

33. यह मामला फिर से के.आर. एरी बनाम पंजाब राज्य आईएलआर-1967 पी एण्ड एच 278. में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के समक्ष आया। उच्च न्यायालय को एक अधिकारी के पेंशन पाने के अधिकार की प्रकृति पर विचार करना था। बहुमत ने उसी उच्च न्यायालय के दो पूर्व निर्णयों में निर्धारित सिद्धांतों को मंजूरी के साथ उद्धृत किया, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है,और माना गया कि पेंशन को सरकार की इच्छा और खुशी पर देय इनाम के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और यह कि इसकी राशि सहित सेवानिवृत्ति पेंशन का अधिकार एक सरकारी कर्मचारी में निहित एक मूल्यवान अधिकार है। बहुमत द्वारा यह भी माना गया कि भले ही चूक के लिए जुर्माना लगाने के खिलाफ कारण बताने के लिए अधिकारी को पहले ही अवसर दिया जा चुका हो। उसकी ओर से कदाचार किया गया है और उसे दोषी पाया गया है, फिर

भी, जब किसी अधिकारी के खिलाफ पहले से ही साबित हुए कदाचार के आधार पर उसे देय पेंशन की मात्रा में कटौती की मांग की जाती है, तो उस संबंध में कारण बताने का एक और अवसर अधिकारी को दिया जाए। आगे अवसर देने के संबंध में यह विचार विद्वान न्यायाधीशों द्वारा प्रासंगिक पंजाब सिविल सेवा नियमों के आधार पर व्यक्त किया गया था। लेकिन विद्वान मुख्य न्यायाधीश अपने असहमतिपूर्ण फैसले में बहुमत से सहमत होने के लिए तैयार नहीं थे कि ऐसी परिस्थितियों में जब राज्य द्वारा देय पेंशन की राशि में कटौती की जाती है तो एक अधिकारी को एक और अवसर दिया जाना चाहिए। मौजूदा मामले में हमारे लिए इस सवाल पर विचार करना जरूरी नहीं है कि क्या पहले से की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई के आधार पर पेंशन को कम करने या अस्वीकार करने की कार्रवाई करने से पहले, किसी अधिकारी को कारण बताने के लिए एक और नोटिस दिया जाना चाहिए। हमारे सामने वह प्रश्न विचारार्थ नहीं उठता। न ही हम प्रक्रिया के संबंध में किसी अन्य प्रश्न, यदि कोई हो, को लेकर सम्बन्ध रखते हैं।

उक्त सिद्धान्त को किसी अधिकारी की सेवानिवृत्ति के बाद पहली बार पेंशन कम करने या रोकने से पहले अधिकारियों द्वारा अपनाया जाना। इसलिए हम इस पहलू पर पंजाब उच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसले में बहुमत और अल्पसंख्यक न्यायाधीशों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के संबंध में कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं। लेकिन हम बहुमत के

विचार से सहमत हैं जब उसने अपने पहले के निर्णय को मंजूरी दे दी है कि पेंशन सरकार की इच्छा और खुशी पर देय इनाम नहीं है और दूसरी ओर, पेंशन का अधिकार एक मूल्यवान अधिकार है। एक सरकारी कर्मचारी में सम्माहित अधिकार है।

34. इस न्यायालय को मध्य प्रदेश राज्य बनाम राणोजीराव शिंदे और अन्य में MANU/SC/0030/1968:(1968)3SCR489 में इस प्रश्न पर विचार करना था कि क्या ''नकद अनुदान'' संविधान के अनुच्छेद 19 1 एफ और 31 (1) और 31 (1) में उस अभिव्यक्ति के अर्थ में ''संपत्ति'' है। इस न्यायालय ने माना कि यह संपत्ति थी, ''यह स्पष्ट है कि धन का अधिकार संपत्ति है''

35. उपरोक्त निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि याचिकाकर्ता का पेंशन प्राप्त करने का अधिकार अनुच्छेद 31(1) के तहत संपत्ति है और केवल कार्यकारी आदेश द्वारा राज्य के पास इसे रोकने की कोई शक्ति नहीं है। उक्त दावा अनुच्छेद 191 एफ के तहत भी संपत्ति है और यह अनुच्छेद 19 के उप-अनुच्छेद 5 द्वारा संरक्षित नहीं है। इसलिए, यह निम्नानुसार है कि याचिकाकर्ता को पेंशन प्राप्त करने के अधिकार से इनकार करने वाला 12 जून 1968 का आदेश प्रभावित करता है। संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (एफ) और 31 (1) के तहत याचिकाकर्ता का मौलिक अधिकार को प्रभावित करता है, और इस प्रकार अनुच्छेद 32 के तहत रिट

याचिका सुनवाई योग्य है। ऐसा हो सकता है कि पेंशन अधिनियम 1871 का अधिनियम 23 के तहत सिविल कोर्ट द्वारा उसमें उल्लिखित मामलों से संबंधित किसी भी मुकदमे पर विचार करने पर रोक हो।

कानून के अनुसार पेंशन के भुगतान के लिए याचिकाकर्ता के दावे पर उचित रूप से विचार करने के लिए राज्य को जारी किए जाने वाले परमादेश रिट के रास्ते में नहीं आता है।

13. पश्चिम बंगाल राज्य में बनाम हरेश सीण् बनर्जी और अन्य. 2006 7 एससीसी 651 में इस न्यायालय ने तब भी इसे मान्यता दी जब कि संविधान चवालीसवाँ संशोधन अधिनियम (1978,20 जून 1979 से प्रभावी) के माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (एफ) और अनुच्छेद 31 (1) के निरसन के बाद संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा, यह अभी भी एक संवैधानिक अधिकार था जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 300 ए में दिया गया है। पेंशन प्राप्त करने का अधिकार संपत्ति का अधिकार माना गया। अन्यथा, उस मामले में चुनौती पश्चिम बंगाल सेवा मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ नियम,1971 के नियम 10(1) के विरूद्ध में थीए, जो राज्यपाल को पेंशन रोकने या वापस लेने का अधिकार प्रदान करता था। या उसके किसी भी हिस्से को कुछ परिस्थितियों में और उक्त चुनौती को इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। तथ्य यह है कि कानूनी सिद्धांत में यह शर्त है कि पेंशन प्राप्त करने का अधिकार

''संपत्ति'' में अधिकार के रूप में मान्यता प्राप्त है।

14. भारत के संविधान का अनुच्छेद 300 ए इस प्रकार है:

''300 ए कानून के अधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। - कानून के अधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।''

एक बार जब हम उस आधार पर आगे बढ़ते हैं,

इस निर्णय की शुरुआत में हमारे द्वारा उठाया गया प्रश्न व उसका उत्तर बहुत स्पष्ट हो जाता है। किसी व्यक्ति को कानून के अधिकार के बिना इस पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 300 ए में निहित संवैधानिक अधिकार है। इससे यह पता चलता है कि बिना किसी वैधानिक प्रावधान के और प्रशासनिक निर्देश के तहत पेंशन या ग्रेच्युटी का एक हिस्सा या यहां तक कि छुट्टी नकदीकरण का एक हिस्सा छीनने के अपीलकर्ता के प्रयास को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।

15. इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि कार्यकारी के निर्देशों में वैधानिक चरित्र नहीं है और इसलिए, उपरोक्त अनुच्छेद 300 ए के अर्थ में ''कानून'' नहीं कहा जा सकता है, ऐसे परिपत्र के आधार पर, जिसमें बल नहीं है कानून के अनुसार, अपीलकर्ता पेंशन या ग्रेच्युटी का एक हिस्सा भी नहीं रोक सकता। जैसा कि हमने ऊपर देखा, जहां तक

वैधानिक नियमों का सवाल है, किसी भी स्थिति में पेंशन या ग्रेच्युटी रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि इन नियमों में ऐसा कोई प्रावधान होता तो स्थिति कुछ और होती.

16. तदनुसार, हम पाते हैं कि तत्काल अपीलों में कोई योग्यता नहीं है क्योंकि उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश दोषरहित है। तदनुसार, ये अपीलें 10,000 प्रत्येक रुपये की खर्च के साथ खारिज की जाती हैं।

अपीलें खारिज.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक महेंद्र प्रताप बेनीवाल (न्यायिक अधिकारी) द्वारा किया गया है। अस्वीकरणः- यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंगेे्रजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।